राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम जय कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/03/2026 को पेश हो		
23/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/05/2024 पारित करते हुये तहसीलदार सांगानेर को विवादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 448 व पुराना 532 के खसरा नम्बर 484 रकबा 2.96 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.96 स्थित ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकला भू.अ.नि. क्षेत्र ठीकरीया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित का विधिसम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26/08/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उध्दृत तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन वाद में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से समस्त पक्षकारान/सहखातेदारान का विभाजन कर उनका अलग-अलग खाता लगान कायम नही किया गया है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है	विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नाधीन खाते के सभी सहखातेदारान का विभाजन कर अलग-अलग खाता लगान कायम किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में क़ानूनी त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/08/2025 निरस्त किये जाकर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम जय कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1562/2025	

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नाधीन वाद में समस्त पक्षकारान/सहखातेदारान का अलग-अलग खाता लगान प्रस्तावित करते हुये कुर्रेजात तलब किया जाना सुनिश्चित करे एवं कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।